

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021


जयपुर, दिनांक:-

11 3 DEC 2021

:-आदेश:-

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु सं. 10 को सक्षम स्तर पर आस्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतः वर्तमान में उक्त बिन्दु सं. 10 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक भन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


(मनीष चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम